

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)  
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी- रक्षा पारीक, अमर090एसक)  
प्रकरण संख्या - 2024/53 (रे.वाद)

वादीपक्ष -

1. मांगीलाल बाफना पिता मीठालाल बाफना निवासी सुथारवाडा, कुंठवा  
तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

प्रतिवादीपक्ष -

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

दावा :- घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

वादी की ओर से - श्री भरतगिरी गोस्वामी, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण की ओर से - परोकार सरकार

मैं इस आशय में दिनांक 12/08/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपना वादपत्र सिद्ध किये जाने से वादी का वाद घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम कुंठवा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 338, 340, 341, 342, 2372, 3216, 3219, 3228, 3231 कुल किता-09 कुल रकबा 03-14 बीघा भूमि वादी का त्रुटिपूर्ण नाम मांगीलाल पिता अमरचन्द की इन्द्राज दुरुस्ती की जाकर वादी को मांगीलाल पिता अमरचन्द के बजाय मांगीलाल पिता मीठालाल बाफना नाम से खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाने के आदेश दिये जाते हैं इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 12/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।



(रक्षा पारीक)  
सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
नाथद्वारा जिला राजसमन्द